सं0सं0–11/आ0प्र0(विविध) 01/2020- 329 (11)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में

सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार
सभी सिविल सर्जन, बिहार

पटना, दिनांक–29/04/2020

विषय :– वर्ष–2020 के संभावित बाढ़ एवं उससे उत्पन्न जलजनित महामारी की रोकथाम के तैयारियों हेतु अनुदेश।

महाशय,

आप अवगत हैं कि वर्तमान समय में बिहार राज्य भी नोवल कोरोना वायरस के वैश्विक आपदा से प्रभावित है एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त सरकार के अन्य विभागों द्वारा भी इसकी रोकथाम एवं उपचार के लिए निरन्तर गम्भीर प्रयास किया जा रहा है। आप इस तथ्य से भी अवगत हैं कि राज्य में हर वर्ष कुछ जिलों में बाढ़ आती है एवं जान–माल की क्षति के अलावे इस बाढ़ से कई तरह की बीमारियाँ भी फैलती हैं जो महामारी का रूप ले सकती है। इसकी रोकथाम के लिये आवश्यक है कि पूर्व से ही प्रभावकारी कदम उठाये जायें जिससे कि बीमारियों का फैलाव नहीं हो एवं यदि हो जाय तो उसका समुचित उपचार एवं नियंत्रण किया जा सके।

2. इस आपदा के समय में बाढ़ एवं उससे उत्पन्न जल जनित महामारियों की रोकथाम के लिए जो भी प्रयास किए जाने है इनमें COVID -19 से बचाव के सभी तरीकों यथा Social distancing, Sanitization एवं Sanitation, मास्क का अनिवार्य उपयोग आदि के उपाय भी सम्मिलित रूप से किए जाने हैं।

बाढ़ एवं उससे उत्पन्न जल जनित बीमारियों की समस्या से निपटने हेतु तैयारी के अपेक्षित बिन्दु निम्नांकित हैं :–

(क) <u>सामान्य</u> :–

1. जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक महामारी रोकथाम समिति गठित है, जिसमें उप विकास आयुक्त/आरक्षी अधीक्षक/सिविल सर्जन/आपूर्ति विभाग/ जिला आपदा प्रबंधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पदाधिकारी सदस्य हैं।
2. यह समिति अपने जिले में बाढ़/जल–जमाव से उत्पन्न होने वाली बीमारियों के संभावित क्षेत्रों का पूर्व के अनुभव के आधार पर चिन्हित करेगी एवं वहाँ पर त्वरित तरीके से उपचारात्मक एवं निरोधात्मक कार्रवाई करेगी तथा इसके लिए प्रचार–प्रसार के माध्यम का भी इस्तेमाल करेगी।

(ख) <u>बाढ़ पूर्व तैयारियों का अभ्यास</u> :–

बाढ़ तैयारी के संबंध में स्वास्थ्य कर्मियों/गैर सरकारी संगठनों के साथ Mock Exercise / Mock drill का आयोजन नियमित अंतराल पर किया जाय।

(ग) <u>निरोधात्मक</u> :–

<u>शुद्व पेयजल आपूर्ति</u> :–

1. ऐसे सभी पेयजल श्रोतों की पहचान मॉनसून पूर्व (माह मई–जून) में कर ली जाय जिसे जनसाधरण व्यवहार में लाते हो। इस हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पदाधिकारी/ कर्मी की सहायता प्राप्त की जा सकती हैं।
2. पेयजल श्रोत बाढ़ के पानी/जल जमाव से प्रभावित होतें हैं, अतः उस क्षेत्र के पीने के पानी का शुद्धिकरण, छोटे श्रोतों के लिए क्लोरीन टिकिया (हैलोजेन टिकिया) एवं बड़े श्रोतों के लिए ब्लीचिंग पाउडर के माध्यम से किया जाए।
3. विगत वर्षों के अनुभव से बाढ़ के पश्चात् जल जमाव की स्थिति में मच्छरों के प्रकोप बढ़ने से डेंगू/मलेरिया/ कालाजार इत्यादि महामारी का फैलाव बहुत तेजी से होती है। जिससे काफी संख्या में जनसमूह के अक्रान्त होने की संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति में जिला मलेरिया पदाधिकारी का दायित्व होगा कि प्रभावित क्षेत्रों में डी0डी0टी0 का छिड़काव एवं फॉगिंग कार्य सुनिश्चित करायेंगे तथा संबंधित कर्मियों को प्रभावित क्षेत्रों में सतत् निगरानी हेतु तैनात रखेंगे।
4. जिला/प्रखंड के स्वच्छता निरीक्षक पेयजल की गुणवता बनाए रखने के लिए पानी के नमूनों का संग्रह करेंगें तथा उसकी जाँच सक्षम पदाधिकारी के माध्यम से प्रमण्डलीय प्रयोगशाला/चिकित्सा महाविद्यालय अथवा लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना में करायेंगे ।
5. पेयजल संकट से निबटने हेतु आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना द्वारा निर्गत **"पेयजल संकट हेतु अपनाई जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया"** में वर्णित निर्देशो का भी अनुपालन किया जा सकेगा। जो आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना के वेवसाईट –www.disastermgmt.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

(घ) <u>चिकित्सा दलों का गठन</u> :–

1. जिला स्तर /प्रखंड स्तर पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा दलों का (चलन्त/स्थायी/अस्थायी) गठन होगा जिसमें चिकित्सा पदाधिकारी/स्वच्छता निरीक्षक/परिचारिका/पारामेडिकल एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मी रहेंगें जो सिविल सर्जन के द्वारा नामित किए जायेंगे तथा चिकित्सा दल को प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकता के आधार पर सिविल सर्जन द्वारा भेजें जायेगें।
2. बाढ़ के पश्चात प्रभावित क्षेत्रों में जल–जनित रोग से काफी जनसंख्या ग्रसित होती है जिसमें अतिसार से ग्रसित व्यक्तियों के समय पर उपचार न होने से मृत्यु भी हो जाती हैं। प्रचार–प्रसार के माध्यम से जनसाधारण को यह अवगत कराया जाय कि वे प्रभावित क्षेत्रों की सूचना, चौकीदार/पंचायत के सदस्य/स्वास्थ्यकर्मी/सिविल सर्जन/स्थानीय थाना/आरक्षी अधीक्षक/जिलाधिकारी को उपलब्ध कराएँगे। सिविल सर्जन तथा उस क्षेत्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी कि चिकित्सा दल तुरंत प्रभावित स्थल पर भेजेंगे एवं महामारी नियंत्रण करेंगे।

(च) दवाओं की उपलब्धता :–

1. विगत वर्षो के अनुभव के आधार पर बाढ़/महामारी से निपटने हेतु जिला से प्रखंड स्तर तक दवाओं की उपलब्धता का आकलन कर तैयारी सुनिश्चित कर ली जाय।

2. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जल जनित बीमारियों यथा डायरिया आदि की रोकथाम हेतु ओ0 आर0 एस0 एवं एन्टीडायरियल संबंधित आवश्यक दवाओं की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था कर ली जाए। इन दवाओं के अतिरिक्त ब्लीचिंग पाउडर, हैलोजन टेबलेट, ए0एस0भी0एस0 (ASVS) एवं ए0आर0भी0 (ARV) का भंडारण सुनिश्चित कर लिया जाए। ये सभी Essential Drugs में शामिल है। इन सभी दवाओं के लिए ससमय अधियाचना BMSICL, जो दवा क्रय हेतु नोडल एजेंसी है, को भेज दी जाए और जिन दवाओं की आपूर्ति BMSICL द्वारा नहीं की जा सकती हो, उन्हें स्थानीय स्तर पर नियमानुसार क्रय कर भंडारित करना सुनिश्चित किया जाए। बाढ़ के पूर्व आवश्यक दवाओं की मात्राओं का आकलन करते हुए दवाओं का क्रय दवा ईकाई मद/NHM की निधि में उपलब्ध आवंटन से किया जाए। प्राप्त दवाओं को यथा शीघ्र सभी अस्पतालो सहित सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाए।
3. बाढ़ के समय/बाढ़ के पश्चात कुत्ता एवं सियार काटने की घटनायें होती रहती है। यह अनुभव रहा है कि स्थानीय स्तर पर कुत्ता/सियार काटने की उपचारात्मक दवा उपलब्ध नहीं रहने/कमी के कारण कठिनाई होती है। अतः एन्टीरेबीज दवा भी नियमानुसार, आवश्यकता का आकलन कर भंडारण कर ली जाय।

(छ) उपचारात्मक :–

1. सर्पदंश से आक्रान्तों की मृत्यु समय से उपचार न होने पर हो सकती है। जल–जमाव/बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में जमीन के छिद्र में पानी प्रवेश कर जाने से साँप बाहर आ जाते हैं जिससे सर्पदंश की घटनाएँ बढ़ जाती है, इसलिए सुनिश्चित कर लें कि सभी अस्पतालों में ए0एस0भी0एस0 की दवा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे, लेकिन सभी सर्पदंश घातक नहीं होते हैं, अतः चिकित्सा पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि सर्पदंश की दवाईयों का उपयोग वे आवश्यकतानुसार करेंगे।
2. नवजात शिशुओं के लिए नियमित टीकाकरण भी बाधित नहीं हो, इसकी व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगे एवं गर्भवती महिलाओं की पहचान पूर्व से ही कर ली जाय एवं इसके लिए डिलिवरी कीट एवं मैटरनिटी हट की व्यवस्था पूर्व में हीं कर लेंगे।
3. पूर्व के अनुभव के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं यथा कुपोषण केन्द्र, मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता, सेनेटरी किट इत्यादि के सम्बन्ध में भी विशेष रूप से योजना बना लिया जाय।

(ज) अस्थाई अस्पताल एवं नौका औषधालय की व्यवस्था :–

1. जिन क्षेत्रों में महामारी फैल गई हो और आक्रान्तो की संख्या ज्यादा हो, वहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/स्वा0 उप केन्द्र, स्कूल, पंचायत भवन आदि में अस्थायी अस्पताल खोला जायगा। वहाँ पर यह अस्थायी अस्पताल तब तक चलते रहेंगे जब तक महामारी पर नियंत्रण नहीं हो जाता है और वहाँ पर सभी कर्मचारी स्थायी रूप से कार्यरत रहेंगे ।

2. उन क्षेत्रों में जहाँ पर गाँव/कस्बा, जल जमाव या बाढ़ से घिर जाते हैं, सड़क सम्पर्क टूट जाता है, उन प्रभावित क्षेत्रों में जनसाधारण को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नौका पर औषधालय खोला जायेगा और यह प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमण करेगा। नौका पर औषधालय जिसमें चिकित्सा पदाधिकारी, ए0एन0एम0 और पारा मेडिकल कर्मी प्रतिनियुक्त होंगे तथा पर्याप्त मात्रा में आवश्यक दवा एवं सामग्री की व्यवस्था रहेगी, जिसे सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से प्राप्त किया जायेगा। दवा और सामग्री की कमी होने पर एक दिन पहले नौका औषधालय के चिकित्सा पदाधिकारी दवा और सामग्री की आपूर्ति के लिए नजदीकी अस्पताल से अनुरोध कर प्राप्त कर लेंगे। संबंधित जिला पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे नौका पर औषधालय हेतु नाव एवं नाविक उपलब्ध करायेंगे।

(झ) <u>प्रशासनिक व्यवस्था :–</u>

1. जिलाधिकारी को विभिन्न श्रोतों से महामारी के संबंध में सूचना प्राप्त होती है, उन सूचनाओं पर सिविल सर्जन का यह दायित्व होगा कि गठित चिकित्सा दल को उस स्थान पर आवश्यक उपचार हेतु भेजेंगे।
2. महामारी की रोकथाम तथा बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों के उपचार आदि के लिये जिलाधिकारी/सिविल सर्जन किसी भी चिकित्सा पदाधिकारी/स्वास्थ्य कर्मी को अप्रभावित जगहों से हटाकर प्रभावित जगहों पर महामारी की रोकथाम हेतु प्रतिनियुक्त करेंगे। ऐसे प्रतिनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी/स्वास्थ्य कर्मी तब तक प्रतिनियुक्त स्थान पर बने रहेंगे जब तक कि महामारी पर नियंत्रण नहीं कर लिया जाता है।
3. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थापित एवं कार्यरत किसी भी चिकित्सा पदाधिकारी/कर्मचारी को बाढ़ के समय अवकाश देय नहीं होगा, यदि कोई चिकित्सा पदाधिकारी/कर्मचारी को अवकाश पर जाना आवश्यक हो तो वे अवकाश की स्वीकृति सिविल सर्जन के अनुशंसा पर जिला पदाधिकारी से प्राप्त करेंगे। बाढ़ के समय में कोई चिकित्सा पदाधिकारी/स्वास्थ्य कर्मी अपने क्षेत्र से अनुपस्थित रहेंगे तो यह गम्भीर कदाचार माना जायगा एवं उन पर इसके लिए अनुशासनिक कार्यवाही की जायगी।
4. जिला पदाधिकारी/सिविल सर्जन को यह अधिकार दिया जाता है कि महामारी की रोक–थाम एवं नियंत्रण करने में यदि अतिरिक्त चिकित्सा पदाधिकारी/स्वास्थ्य कर्मी की आवश्यकता हो, तो वे चिकित्सा महाविद्यालयों से कनीय चिकित्सक/स्नातकोत्तर के चिकित्सक तथा पारा मेडिकल एवं स्वास्थ्य कर्मी की सेवाएँ अधीक्षक/प्राचार्य से प्राप्त कर सकते हैं और वे महामारी खत्म होनें तक सिविल सर्जन के अधीन प्रतिनियुक्त माने जायेंगें।
5. चिकित्सा संस्थान/सभी चिकित्सा महाविधालय एवं अस्पताल में चलन्त पैथोलॉजिकल दल गठित की जायगी जो निकटवर्ती जिलों में बाढ़ के समय महामारी उद्भेदन के स्थिति में आवश्यक कार्रवाई करेगी। विशेष परिस्थिति में राजेन्द्र स्मारक चिकित्सा अनुसंधान विज्ञान संस्थान, (RMRIMS) अगमकुआँ, पटना से भी संबंधित पदाधिकारी सम्पर्क बनाये रखेंगें।
6. पूर्व के अनुभव के आधार पर दवाओं एवं उपकरणों को सुरक्षित रखने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करेंगें, जिससे क्षति से बचा जा सके।

(ट) अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण :–

1 .क्षेत्रीय अपर निदेशक/सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महामारी के समय में प्रभावित क्षेत्रों का सघन भ्रमण एवं स्वास्थ्य संबंधी किए जा रहें कार्यो का निरीक्षण एवं समीक्षा करते रहेंगें और इसके नियंत्रण हेतु प्रमण्डलीय आयुक्त/जिलाधिकारी से सहयोग प्राप्त करेंगे ।

2. प्रत्येक जिला में बाढ़ की अवधि तक जिलाधिकारी के अधीनस्थ एक बाढ़ नियंत्रण अनुश्रवण कोषांग का गठन होना है। उसी प्रकार सिविल सर्जन के अधीन भी बाढ़ की अवधि तक अनुश्रवण कोषांग का गठन होगा जिसमें प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मचारी पाली के अनुसार कार्यरत रहेंगे।

बीमारी से आक्रान्तो की संख्या/कुल मृतकों की संख्या एवं दवाओं/उपकरणों की उपलब्धता आदि की सूचना विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त कर प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी/स्वास्थ्य निदेशालय/राज्य स्वास्थ्य समिति को दूरभाष/ई–मेल /फैक्स से संसूचित किया जायगा ।

3. जल जमाव/बाढ़ के समय होने वाले बीमारियों के बारे में इस निर्देशिका के साथ संलग्न प्रपत्र फार्म–'ए', फार्म–'बी' एवं– फार्म 'सी' में वर्णित विवरणी के अनुसार संकलन कर प्रतिवेदन अनुश्रवण कोषांग, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा,पटना को भेजना सुनिश्चित करेंगे साथ ही दैनिक अद्ययतन स्थिति की सूचना उपरोक्त को ई–मेल ssosbihar@gmail.com पर भेजना सूनिश्चित करेंगे।

4. बाढ़ के समय स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अस्पताल भवन/उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इस संदर्भ में सम्बंधित सिविल सर्जन की यह जिम्मेवारी होगी कि वे इसकी समीक्षोपरांत आकलन करायेंगे कि भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण कितनी क्षति हुई एवं उसके जीर्णोद्धार के लिए कितनी राशि की आवश्यकता है। साथ ही सिविल सर्जन सम्बंधित कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण प्रमंडल से प्राक्कलन बनवाकर विभाग को भेजेंगे। सुलभ प्रसंग हेतु आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना द्वारा निर्गत **"बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए अपनाई जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया"** में वर्णित निर्देशो का भी अनुपालन किया जाएगा। यह आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना के बेवसाईटwww.disastermgmt.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

(ठ) राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार स्तर पर :–

1. किसी भी तरह की सूचना या मार्गदर्शन हेतु स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, शेखपुरा, पटना में स्थापित राज्य नियंत्रण कक्ष के **टौल फ्री दूरभाष संख्या–'104'** से सम्पर्क स्थापित किया जाय तथा ई–मेल आई0डी0 **ssobihar@gmail.com** पर सूचना भेजी जा सकती है।
2. राज्य IDSP पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति/राज्य के जिलों से महामारी के समय में आक्रांतो/मृतकों की संख्या/दवा एवं सामग्री की अद्यतन स्थिति प्राप्त करेंगे एवं जिलों से सतत् सम्पर्क एवं समन्वय बनाए रखेंगे साथ ही विभाग स्तर पर अवस्थित आपदा प्रबंधन कोषांग को अद्यतन स्थिति से अवगत करायेंगें। इस कोषांग का दायित्व होगा कि प्राप्त प्रतिवेदन से प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार को प्रतिवेदन सर्मपित करेंगें।

3. निदेशक प्रमुख, (आपदा) स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार वे सभी निर्णय लेंगे, जो बाढ़ से उत्पन्न महामारी के रोक–थाम के लिए आवश्यक प्रतीत हो ।

विश्वासभाजन

28/4/2020

(संजय कुमार)

ज्ञापांक सं0सं0–11/आ0प्र0(विविध) 01/2020 - 329 (11) पटना, दिनांक–29/04/2020

प्रतिलिपिः–उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पंत भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–कार्यपालक निदेशक–सह– सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि महामारी रोक–थाम के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करायी जाय।

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, BMSICL पटना को सूचनार्थ एवं कार्याथ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निदेशक, राजेन्द्र स्मारक चिकित्सा अनुसंधान विज्ञान संस्थान (RMRIMS) अगमकुआँ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राज्य स्वास्थ्य भंडार, गुलजारबाग, पटना/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/सभी प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार/अपर निदेशक–सह–राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, (मलेरिया/कालाजार) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं कार्याथ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य विभाग के वेवसाईट पर निर्गत अनुदेश अपलोड करने एवं संबंधित को ई–मेल द्वारा प्रेषण करने हेतु प्रेषित।

28/4/2020

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 329 (11) पटना, दिनांक 29/04/2020

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

28/4/2020

सरकार के प्रधान सचिव

FORMAT C : Syndromic Diseases Profile

DAILY REPORTING FORMAT FOR SYNDROMIC DISEASES FROM FLOOD AFFECTED DISTRICTS

	State	Bihar																					Date																	
	Name of District	Fever less than (<)7 days only fever			Fever<7 days with rash			Fever<7 days with bleeding			Fever<7 days with daze or Semiconsciousnes s/			Fever more than (>)7 days			Cough with or without fever < 2 weeks			Cough with or without fever > 2 weeks			Loose Watery Stools < 2 weeks With some / much			Loose Watery Stools < 2 weeks with no dehydration			Loose Watery Stools < 2 weeks with blood			Jaundice cases of less than 4 weeks (cases of Acute Jaundice)			Acute Flacid Paralysis cases in less than 15 years of age (cases of			Unusual Symptoms Leading to Death or		
		Today's cases	Cumulative cases	Total Deaths	Today's cases	Cumulative cases	Total Deaths	Today's cases	Cumulative cases	Total Deaths	Today's cases	Cumulative cases	Total Deaths	Today's cases	Cumulative cases	Total Deaths	Today's cases	Cumulative cases	Total Deaths	Today's cases	Cumulative cases	Total Deaths	Today's cases	Cumulative cases	Total Deaths	Today's cases	Cumulative cases	Total Deaths	Today's cases	Cumulative cases	Total Deaths	Today's cases	Cumulative cases	Total Deaths	Today's cases	Cumulative cases	Total Deaths	Today's cases	Cumulative cases	Total Deaths
1	ARARIA																																							
2	AURANGABAD																																							
3	ARWAL																																							
4	BANKA																																							
5	BEGUSARAI																																							
6	BHABHUA																																							
7	BHAGALPUR																																							
8	BHOJPUR																																							
9	BUXAR																																							
10	DARBHANGA																																							
11	GOPALGANJ																																							
12	GAYA																																							
13	JAHANABAD																																							
14	JAMUI																																							
15	KHAGARIA																																							
16	KISHANGANJ																																							
17	KATIHAR																																							
18	LAKHISARAI																																							
19	MADHUBANI																																							
20	MADHEPURA																																							
21	MUNGER																																							
22	MUZAFFARPUR																																							
23	NAWADA																																							
24	NALANDA																																							
25	W.CHAMPARAN																																							
26	PATNA																																							
27	E.CHAMPARAN																																							
28	PURNIA																																							
29	ROHTAS																																							
30	SAHARSA																																							
31	SHEKHPURA																																							
32	SHEOHAR																																							
33	SITAMARHI																																							
34	SAMASTIPUR																																							
35	SARAN																																							
36	SUPAUL																																							
37	SIWAN																																							
38	VAISHALI																																							
	Total																																							

पत्रांक:- 329(11) पटना दिनांक- 29/04/2020

FORMAT B : Communicable Diseases Profile

DAILY REPORTING FORMAT FOR COMMUNICABLE DISEASES FROM FLOOD AFFECTED DISTRICTS

State: Bihar Date :

Sl. No	Name of District	Acute Diarrhoeal Disease (including acute			Bacillary Dysentery			Cholera			Typhoid			Viral Hepatitis			Enteric Fever			Dengue			Chikunguny a			Malaria			Measles			Chicken Pox			Snake Bite			Leptospirosis			Skin Diseases		
		Today's cases	Cumulative cases	Total Deaths	Today 's cases	Cumulative cases	Total Deaths	Today 's cases	Cumulative cases	Total Deaths	Today's cases	Cumulative cases	Total Deaths	Today's cases	Cumulative cases	Total Deaths	Today's cases	Cumulative cases	Total Deaths	Today's cases	Cumulative cases	Total Deaths	Today's cases	Cumulative cases	Total Deaths	Today's cases	Cumulative cases	Total Deaths	Today's cases	Cumulative cases	Total Deaths	Today's cases	Cumulative cases	Total Deaths	Today's cases	Cumulative cases	Total Deaths	Today's cases	Cumulative cases	Total Deaths
1	ARARIA																																							
2	AURANGABAD																																							
3	ARWAL																																							
4	BANKA																																							
5	BEGUSARAI																																							
6	BHABHUA																																							
7	BHAGALPUR																																							
8	BHOJPUR																																							
9	BUXAR																																							
10	DARBHANGA																																							
11	GOPALGANJ																																							
12	GAYA																																							
13	JAHANABAD																																							
14	JAMUI																																							
15	KHAGARIA																																							
16	KISHANGANJ																																							
17	KATIHAR																																							
18	LAKHISARAI																																							
19	MADHUBANI																																							
20	MADHEPURA																																							
21	MUNGER																																							
22	MUZAFFARPUR																																							
23	NAWADA																																							
24	NALANDA																																							
25	W.CHAMPARAN																																							
26	PATNA																																							
27	E.CHAMPARAN																																							
28	PURNIA																																							
29	ROHTAS																																							
30	SAHARSA																																							
31	SHEKHPURA																																							
32	SHEOHAR																																							
33	SITAMARHI																																							
34	SAMASTIPUR																																							
35	SARAN																																							
36	SUPAUL																																							
37	SIWAN																																							
38	VAISHALI																																							
	Total																																							

पत्रांक :- 329 (11) पटना दिनांक-29/04/2020

FORMAT A : Flood Situation Profile														
DAILY REPORT OF FLOOD SITUATION PROFILE FROM AFFECTED DISTRICTS														
	Name of State		BIHAR							Date:				
Sl.. No.	Name of District	Flood Profile in District												
		No. of Village Affected		No. of Health Institution		No. Of Population Affected		No. of Relief Camps		Relief Camp Population		Medical Camps Held		
		Today	Cumu-lative (since	Today	Cumu-lative (since	Today	Cumu-lative (since 15	Today	Cumu-lative (since 15	Today	Cumu-lative (since	Today	Cumu-lative (since 15	
1	ARARIA													
2	AURANGABAD													
3	ARWAL													
4	BANKA													
5	BEGUSARAI													
6	BHABHUA													
7	BHAGALPUR													
8	BHOJPUR													
9	BUXAR													
10	DARBHANGA													
11	GOPALGANJ													
12	GAYA													
13	JAHANABAD													
14	JAMUI													
15	KHAGARIA													
16	KISHANGANJ													
17	KATIHAR													
18	LAKHISARAI													
19	MADHUBANI													
20	MADHEPURA													
21	MUNGER													
22	MUZAFFARPUR													
23	NAWADA													
24	NALANDA													
25	W.CHAMPARAN													
26	PATNA													
27	E.CHAMPARAN													
28	PURNIA													
29	ROHTAS													
30	SAHARSA													
31	SHEKHPURA													
32	SHEOHAR													
33	SITAMARHI													
34	SAMASTIPUR													
35	SARAN													
36	SUPAUL													
37	SIWAN													
38	VAISHALI													
Tota														

पत्रांक- 329 (11) पटना दि- 29/04/2020